

झारखंड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची – 834001
विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति
की अंतिम तिथि-24.12.2015

विज्ञापन संख्या-12/2015

निदेशक, भूमि संरक्षण नियुक्ति परीक्षा

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-06/कृ0 राज0 स्था0-06/2013 – 3753 दिनांक-09.10.2015 के आलोक में निदेशक, भूमि संरक्षण के एकल पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताधारियों से विहित प्रपत्र में ऑनलाईन (Online) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. (i) पद का नाम- निदेशक, भूमि संरक्षण

2. पद – स्थायी

3. वेतनमान – PB-II- 15,600-39,100 (Grade Pay – 7,600)

4. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :-

भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक अथवा कृषि अभियंत्रण (Agriculture Engineering) में स्नातक डिग्रीधारी हो।

(क) पूर्व अनुभव :-

भारत सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सेवा में पुनरीक्षित वेतन संरचना के अनुसार PB - III 15,600-39,100 ग्रेड पे-6600/- में कम से कम 03 वर्षों के अनुभव सहित कुल 10 वर्षों का कार्यानुभव प्राप्त किया हो।

(ख) प्रशिक्षण और विशेषता :-

अभ्यर्थी को ICAR अथवा राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम 5 ½ माह का भूमि संरक्षण से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया होना आवश्यक होगा।

नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी अपनी बायोडाटा में स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 विशेषज्ञताओं (यदि हो तो) का ब्योरा देंगे, जिसे नियुक्ति के लिए चयन करते समय आयोग द्वारा अधिमानता दी जायगी।

5. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :-01.08.2013

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 45 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष के बीच का हो।

6. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-

(क) अर्न्तवीक्षा द्वारा चयन किया जाएगा।

(ख) अर्न्तवीक्षा में अंकों का निर्धारण झारखण्ड लोक सेवा आयोग के Rules of Procedure, 2002 में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा, जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री के लिए 10 अंक एवं पी0एच0डी0 डिग्री के लिए अनिश्चित 10 अंक की अधिमानता दी जायगी।

7. आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया एवं अन्य अनुदेश :-

- (क) ऑनलाईन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, "How to apply" अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के **Help Line No. 0651/2213009** पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10:00 बजे से शाम-05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।
- (ग) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (घ) आवेदक अपने नाम, पिता का नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।
- (ङ.) जन्म तिथि- आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही Online आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करें।
- (च) Online आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, यथा-: प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, इन्टरमीडिएट, स्नातक, पी0जी0 एवं पी0एच0डी0 के प्रमाण पत्र, अनुभव तथा प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञता प्रमाण का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र के साथ अनुभव एवं विशेषज्ञता के प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (छ) अभ्यर्थी अपने नियंत्री पदाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी (ज्ञापांक-/दिनांक) ऑनलाईन आवेदन में भरेंगे एवं साक्षात्कार के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे।
- (ज) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

08. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a

tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

09. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

- (ii) सामान्य, पिछड़ा वर्ग-। एवं पिछड़ा वर्ग-II श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-400 (चार सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-100/- (एक सौ) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

10. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक 24.11.2015 से 24.12.2015 रात 12:00 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं

ह0/-
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।